योजना थी मौर म्राप इसको मौर भी रहे होंगे। मैं यह पृष्ठना हू कि हमारे देश में जो पिछड़े इलाके हैं जैसे उत्तरी बिहार म्रोर पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां के लिए भी ग्रापके पास कोई योजना है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुगलसराय भौर भ्रासनसाल के बीच ट्रैक का इलेक्ट्र-**फिकेशन करने की सातवीं पचर्षीय योजना** में क्या कोई योजना है?

भी माधवराव सिधिया : इसके लिए मुझे सैपरेट नोटिस चाहिए।

क्रिन्दी माध्यम वाले छात्रों को दिल्ली के महाविद्यालयों में प्रवेश देने से इन्कार

* 328. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: ..]..

- (क) दिल्ली के उन महाविद्यालयों के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने श्रन्सुचित जातियों श्रीर **भनुसुचित जनजातियों के छात्रों** बारहवीं कक्षा तक अंग्रेजी न पढ़ने वाले छान्नों को प्रवेश देने से मना कर दिया है; स्रीर
- 🧾 (ख) क्या सरकार ने हिन्दी माध्यम वाले छात्रों के साथ महाविद्यालयों में भेदभाव को रोकने के लिये श्रादेश दिये **€** 3

शिक्षा मंत्री (श्रीके०सी० पन्त): (क) भीर (ख) चालू वर्ष के दौरान अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत किए गए धनुसूचित जातियों/धनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कुल संख्या 3,533 बी। इन सभी उम्मीदवारों में से 14 खम्मीदवारों को उनकी ६चि के प्रनुकुल पाठ्यकमों में प्रवेश दिया गया। विश्व-विचालय ने शेष छात्रों को भी दाखिला देने का निर्णय किया है, यदि चे उन पाठ्यकर्मों में दाखिला के लिए भन्रोध करते हैं जिनमें स्थान उपलब्ध है।

। इस बालय के कुछ धन्यावेदन प्राप्त हुए वे कि शुरू में कुछ छालों को कुछेक

कालेजों में इस ग्राधार पर प्रवेश नहीं दिया गया या कि स्कूल स्तर पर उनकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी था । तथापि. विश्वविद्यालय के हस्तक्षेप पर सम्बन्धित कालेजों ने ग्राखिरकार ऐसे सभी छाह्रों 🥕 को दाखिल कर लिया है।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : माननीय समा-पति जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 3,533 छात्रों में से केवल 1.4 छात्रों को ग्रभी तक प्रवेश दिया गया 🕏 । शेष 3519 छात्रों को श्रभीतक प्रवेश 🛫

श्री के० सी० पन्त: उनकी गलती नहीं है, हिन्दी में गलत भ्राया है। हिन्दी भ्रनुवाद गलत है। हिन्दी के उत्तर की म्राप-देखें उसमें है कि 14 को छोड़कर बाकी को मिल गया है।

PARVATHANEN SHRI UPEN-DRA: It is a very serious matter.

भी प्यारेलाल खंडेलवाल : ħ -नीय मंत्री महोदय से निवेदन कहंगा कि करके दिया व हिन्दी ग्रनुवाद ठीक करें ताकि उसको ठीक समझा जा सके। सारी गड़बड़ी यही है। मैंने अपना सवास हिन्दी में पूछा था लेकिन माननीय मत्री जी ने उसका जवाब पंग्रेजी में दिया। शंग्रेजी में श्रोरिजनल जवाब है जब कि हिन्दी में ग्रोरिजनल जवाब होना चाहिए था। जो कुछ हिन्दी में लिखकर दिया गया है उसमें से मैंने ठीक अर्थ निकाला है।

श्री के ब्रिक्त व्यक्त : में हिन्दी में पढ़ लेता हं। ग्रापको सन्तोष हो जायेगा। (क) भीर (ख) चालू वर्ष के दौरान अबर-स्नातक पाठ्यक्रमां में पंजीकृत किए गए धनस्चित जातियों/धनस्चित जनजातियो के उम्मीदवारों की कुल संख्या 3,433 थी। (धव इस धगले वाक्य को देखिये) 14. उम्मीदवारों को छोडकर उन सभी उम्मी-दबारों को उनकी रूचि के प्रनकुल पाठ्य-ऋमीं में प्रवेश दिया गया । विश्वविद्यालयों के शेष छात्रों को भी दाखिला देने का निर्णय किया है, यदि वे उन पाठयकमों में दाखिसा के लिए प्रनुरोध करते हैं जिनमें ल्यान उपसच्य हैं।

इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए ये कि सुरू में कुछ छातों को कालेजों में इस श्राधार पर प्रवेश नहीं दिया गया त्रा कि स्कूल स्तर पर उनकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी था। तथापि, विश्वविद्यालय के हस्तक्षेप पर संबंधित कालेजों ने श्राखिरकार ऐसे सभी छातों को दाखिल कर लिया है।

श्री प्यारेसास खंडेनवास: मामनीय सभापति जी, मेरे प्रकृत के पहले भाग का उत्तर फिर भी वही निकलता या ग्रगर ग्रा-खिर में दुरूस्त नहीं कर दिया जाता। में यह पूछना चाहता हूं कि जिन ग्रधिकारियों ने हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यापियों को प्रवेश नही दिया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की, या विश्व-विद्यालय के ग्रधिकारियों ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री के० सी० पन्त: यही मैने कहा कि विश्वविद्यालय ने जब उनसे बातचीत की तो उन कालेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हिन्दी माध्यम मे पढ़े हुए जो लड़के आये हैं उनको दाखिला दे देंगे और उनको वहां दाखिला मिल चका है।

श्री प्यारेताल खंडेलवाल : महोत्य, मेरे प्रक्त का उत्तर नहीं मिला। श्राप मेरा प्रक्त का उत्तर नहीं मिला। श्राप मेरा प्रक्त का उत्तर नहीं मिला। श्राप मेरा प्रक्त का समझ लीजिये। मेरा प्रक्त बिल्कुल सीधा भीर सरल है कि जिन श्रीधकारियों ने हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया शुरू में तो क्यों नहीं दिया? इसका कारण क्या है? ग्रगर उन्होंने नहीं दिया और भारत के संविधान में हिन्दी को भान्यता प्राप्त है इसके कारण उन्होंने संविधान के विपरीत काम किया। तो में जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है यह ग्राप मुझे बतायें? दाखिला ग्रव दे दिया लेकिन पहले यह क्यों नहीं दिया गया?

श्री के० सी० पन्तः ार्यवाही तो कोई नहीं की गई श्रीर न श्रावश्यकता है। इस बात को समझने की जरूरत है , कि क्यों उन्होंने दाखिला नहीं किया यह बात श्रापकी सही है। लेकिन कुछ कालेजों में पढ़ाई लेवल श्रंपेजी माध्यम से होती है, हिन्दी के माध्यम से नहीं होती। इसलिये उन कालेज़ों में वहां के जो श्रिविकारी हैं वे यह अहते हैं कि श्रगर श्राप केवल हिन्दी माध्यम से पढ़कर श्राये हैं तो श्रापको कठिनाई हो सकती है। इसलिये उन्होंने कहा कि श्राप हमारे यहां दाखिल न लेकर दूसरी जगह ले लीजिये। यही इसका कारण था। लेकिन विख्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनको समझाया कि श्राप ले लीजिये तो वे लड़के कहीं न कहीं ले लिये गये हैं।

भी प्यारेलाल खंडेलवाल: मेरा दूसरा संवाल है, सेंकड सप्लीमेंटरी...

MR. CHAIRMAN: No, you have put three questions. I am not allowing.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल: मुझे केवल पहले सवाल का जवाब मिला है मैंने द्सरा सप्लीमेटरी नहीं पूछा है।

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? Shri Vishvajit Singh.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैंन दूसरा सप्लीमेंटरी नहीं पुछा है....

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :* LAt this stage, the hon. Member left the Chamber.1

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंहः मानृनीय मंत्री जी ने वर्णन विषय दहै ग्रपन स्टेटमेंट में . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

MR. CHAIRMAN: No point of order during Question Hour. Not allowed.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: श्राप से सुरक्षा मांगने का ग्रिधिकार हमको है। श्रापने...

MR. CHAIRMAN: No, nothing will go on record.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV:

* *Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

SHRI PAGDAMBI PRASAD YA-

MR. CHAIRMAN: Will you please sit. down?

श्री विश्वजित पृथ्वोजित सिंह : सभापति महोदय, मैं तिबारा दुवारा नहीं. महोदय, तिबारा पूछ रहा हूं।

माननीय भंती जी ने वर्णन किया है
कि कितने केंडिडेट्स थे ग्रीर गेंड्ल्ड कास्ट्स
ग्रीर गेंड्ल्ड ट्राइब्स के स्ट्डेंट्स के संख्या
की जानकारी तो उन्होंने हमको दे दी
है, परन्तु उस संख्या की जानकारी नहीं
दो है कि कितने पाठक थे जोकि केवल
इंगलिश नहीं पढ़ हुए थे, ग्रंग्रजी उन्होंने
बारहवीं जमात तक नहीं पढ़ी थी ग्रीर
वह कितने थे जिनको एडिमशन से इनकारी
री गई है।

श्री के० सी० पन्तेः एडिमिशन से किसी को इनकार नहीं की गई है। सब को एडिमिट कर दिया गया है।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह: मैं नम्बर पूछ रहा हूं उसका जवाध नहीं देते।

MR. CHAIRMAN: He says nobody has been refused admission.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH: They were refused. MR. Chairman, Sir, they refused in the first instance. They were allowed later. I only want to gnow their, number. That's all.

... (Interruptions)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: यह क्या जवाब है. उन्होंने नम्बर पूछा है।(Interruptions)....

SHRI K.C. PANT: I do not have the number with me, Sir.

MR. CHAIRMAN: Why do you people think the Chair is not able to take of itself? I don't need your assistance I can deal with it. Have you got the number? He says "No."

हरमदेव नारायण सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहुता हं--ग्रभी मंत्री महोदय हैं कि किसी को रोका नहीं गया और कहते हैं कि रोका भी गया है। यह दी तरह की बातें था रही है। प्रारम्भ में महाविद्यालय में जब नामांकन लेनें के लिए गये, तो हरिजन, ग्रादिवासी छात्रों को रोका गया श्रीर विश्वविद्यालय के श्रादेश पर उनका नामांकन हमा । तो महाविद्यालय के जो प्राचार्य थे श्रीर प्रबंधक थे, उन्होंने हरिजन, ग्रादि-वासियों को प्रवेश के लिए रोका भीर जब सरकार हरिजन और ग्रादिवासी को विशेष सुविधा देती है नौकरी में मुविधा देती है, उनके लिए विशेष उद्यम करती है, तो क्या उन महाविद्यालयों में ऐसा इंतजाम सरकार करेगी कि ग्रंग्रेजी माध्यम से जो हरिजन, ग्रादिवासी छात्र नहीं पढ़ा हुग्रा होगा, उनके लिए विशेष वर्ग की व्यवस्था करे ग्रंग्रेनी में ग्रीर विशेष पढाई पढा कर उसी कालेज मे उनका नामांकन करवाए।

नम्बर दो, जिस कालेज मे अभी अंग्रेजी के माध्यम से आंका जाता है. हिंदी में शिक्षा पाय हुए लोगों को इन्कार किया जाता है, तो भारत के संविधान में हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी सह-भाषा है और जब राजभाषा का अपमान हो रहा है, तो फिर उस कालेंज को इस देश में चलने का हक क्या है कि जो हिंदी में सीगों को पढ़ने नहीं दे ?

श्री के० सी० पन्तः मभापति जी, एक तो श्रापने पहले सवाल यह किया कि जो शैडूल्ड कास्ट्स एण्ड शैडूल्ड ट्राइड्ज बच्चे हैं, उनको युनिवर्सिटी ने दाखिला नहीं दिया, या उस पर ना की । ऐसी वात नहीं है ।

युनिर्वासटी में पहले रिजस्टर करना होता है। शैंडूल्ड कास्ट्स ग्रीर शैंडूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए यह सुविधा है। कि जहां ग्रन्थ बच्चों को कालेजों में जाना पड़ता है रिजस्ट्रेशन के लिए, शैंडूल्ड कास्ट्स ग्रीर शैंडूल्ड ट्राइब्स के बच्चे भी युनिर्वासटी में जाते हैं। तो सारे बच्चे

^{*}Not recorded.

4--

35

एक ही जगह जाकर ग्रपने को पहले रिजस्टर करते हैं। उसके बाद कोर्सेज का देखा जाता है भीर कोर्सेज जो उनकी इच्छा है, उसके भनुसार ग्रलग-ग्रलग कोर्सेज में, ग्रलग-ग्रलग कालेजों में उनको बाटा जाता है।

जो न्यूनतम मार्क्स हैं जिसमें भ्रौरों को लिया जाता है, उससे भी कम नम्बरों में उनको लिया जाता है। भ्रगर दूसरों को 40 प्रतिशत में लिया जाता है, तो उनको 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। भ्रगर उस पर भी वह संख्या पूरी नहीं होती, तो 33 प्रतिशत तक चले जाते हैं, जिसमें कि बाहरवीं पास करके वह भ्राये हों।

. उसके **बाद 1**4 की बात ग्राई है। तीन हजार कुछ विद्यार्थियों में से केवल 14 का प्रश्न उठा । वह ऐसे उठा उन कोर्सेज में जितनी भ्रारक्षित सीट्स थीं वह भी पूरी हो गई थीं मैंडूल्ड कास्ट्स एण्ड शैंड्लंड ट्राइब्स के बच्चों से, दूसरों से नहीं। तो जब आरक्षण पूरा हो गया, तो उसके बाद यह बाकी रह गये। तो इनको दूसरे कोर्सेज में जाने का प्रश्न उठा । अगर उसमें आरक्षित सीट होती, तो उसी में चले जाते, परन्तू ज्यादा नम्बर के जो ग्रारक्षित वच्चे थे, उन को उसमें प्रवेश दिया गया। श्रीर मैं समझता हूं कि यह बात सही है, ग्राप भी इसकी सही मानेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि श्रापने कहा कि ग्रंग्रेजी में कोर्सेज होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेश्यल कोचिंग होनी चाहिए तो दिल्ली में 16 कालेजों में इस तरह की अंग्रेजी की कोचिंग क्लासेज होती हैं। उनके नाम मेरे पास हैं, ग्राप चाहें तो मैं वता सकता हूं। तीसरा प्रश्न यह था कि क्या माध्यम होना चाहिए ? तो यह यूनिवर्सिटी को तय करना होता है भौर यह यूनिवर्सिटी तय करती है कि क्या माध्यम हो या फिर एकीडिमिक काउँसिल का काम है।

श्री श्रष्ठे लाल बाल्मीक: सभापति जहोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह, जानना बाहूंगा भापके माध्यम से कि क्या छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक में भैंडूल्ड कास्टस और शैंडयूल्ड ट्राइब्ब के लिए क्लासवाइज कितना भ्रारक्षण है?

इसके श्रलावा दूसरी बात जो निजी स्कूल चल रहे हैं, उनमें भी क्या गैंडयूल्ट कास्टस ग्रीर गैंड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को ग्रारक्षण दिया जाता है या नहीं ?

श्री के लि पन्त: मान्यवर, एसा आरक्षण 15 परसेंट भेड्यूल्ड कास्टस के लिए श्रीर साढ 7 परसेंट भेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए है.।

श्री धर्मवन्द्र प्रशान्त: सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना बाहूंगा कि दिल्ली के कालेजों में जो विद्यार्थी जिन्हें कि हिन्दी में प्रश्नों के उत्तर देने में ग्रधिक सुविधा है तो उन पर क्यों प्रतिबंध है कि वे ग्रंग्रेजी में ही प्रश्नों के उत्तर दें ग्रीर उन विषयों को जिनका संबंध ग्रंग्रेजी से नहीं है..... (श्रावधान)

MR. CHAIRMAN: It is not a question. Please put your question.

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्तः यही विवेश्चन है।

MR. CHAIRMAN: Is that the question? Why instructions have not been given? Mr. Minister, you can give the answer.

श्री के० सी० पर्सा: मुझे इसकी जानकारी करनी पड़ेगी कि किन कालेजों में किस माध्यम से उत्तर देने की इजाजत दी जाती है।

श्री मीर्जा इर्शाब्बेग: मान्यवर में यह पूछना चाहता हूं कि तमाम जो विदा हमारे सामने आई है जो हकीकत बनी है इसको प्राथमिक तबके में प्रवेश के जो नियम बनाए हैं उसमें क्या कोई ऐसा डिसिकिमीनेशन था जिससे प्राथमिक तौर पर उन्होंने इसको डिसिकिमीनेशन लेते हुए महज हिन्दी की जानकारी की बिनाह पर एडिमिशन को इंकार किया है ?

श्री के लि पन्त: मैंने पहले भी यह सूचना दी थी कि उन कालेओं में जहां पर कि केवल अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, वहां के म्रधिकारियों ने यह बात उठाई है कि जब आप केवल हिन्दी में ही पढ़कर आये हैं तो अंग्रेजी में ग्रापको कठिनाई हो सकती है तो यह व्यावहारिक प्रश्न है, क्या होना चाहिए यह सवाल एक दूसरे माननीय सदस्य ने उठाया है, इस सब की जो वास्तविकता है उसको देखते हूए, कठिनाई का सवाल रह जाता है वह **अलग बात है, लेकिन इस वक्त की जो** वास्तविकता है उसमें इस बात की धाम श्रादमी समझ सकता है कि जिस कालेज में हिन्दी में पढ़ाई नहीं होती उसमें उस लड़के को जिसने कि अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की है, कठिनाई हो सकती है। इसलिए इस बात को तो हमें समझना चाहिए । वया करना है, यह अलग प्रश्न है ?

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, I have an important thing on this question.

MR. CHAIRMAN: No. no.

SHRI INDRADEEP SINHA: I have visited the Delhi University in that connection.

MR. CHAIRMAN: I cannot allow everybody.

Theft of steel from the Pench-Hydro Electric Project at Nagpur

*329. SHRI INDRADEEP SINHA:†
SHRI SURAJ PRASAD:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that steel worth one crore of rupces was stolen from the Pench-Hydro Electric Project at Nagpur; and
- (b) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER (SHRI ARUN NEHRU): (a) Government of

Maharashtra has intimated that on 9-7-85 the police intercepted two trucks carrying steel costing about Rs. 50,000 stolen from the stores of the Pench Hydro-electric Project at Nagpur.

(b) A complaint was lodged with the police who have arrested two employees of the project and investigations are in progress.

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, I would again comment that the answer given by the hon. Minister seeks more to conceal the facts than to reveal them.

I am now putting the question. Is it a fact than the two trucks were seized by the Maharashtra police in a routine check-up and that the truck drivers have stated that the steel rods were being taken to a firm in Bombay near Bandra and that there was a regular racket of stealing steel from the project stock yard?

(b) is it also a fact that after the Executive Engineer of the project lodged a FIR, a Junior Engineer and a Supervisor were arrested and the superior officers transferred that Executive Engineer immediately for having committed the offence of lodging a FIR?

SHRI ARUN NEHRU: First of all the items which have been mentioned is steel wroth of Rs. 50,000 and not silver worth of Rs. 1 crore. The seizure was made on the 9th and when the police detected it a FIR was lodged on the 10th and on the 12th police have arrested a Junior Engineer and a Store Attendant of that project.

As far as the enquiry is concerned, the State Government has handed over the case to the Anti-Corruption Bureau. Only when the investigations are revealed, we will know the full details. The information we received so far is that on a routine check on the 9th these two trucks were caught. There were 11 tonnes of steel worth of Rs. 50,000.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

[†]The question was actually asked on the floor of the House by Shri Indradeep Sinha.